दिनांक 05.10.2025
प्रेस विज्ञप्ति 07/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>एस0टी0एफ0–कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर होम लोन कराने वाले संगठित गिरोह के 02 सदस्य गिरफ्तार।</u>

दिनांकः 04–10–2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को कूटरचित दस्तावेज तैयार कर होम लोन कराने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण</u>:–

1– विनीत कुमार पुत्र स्व0 विजय कुमार श्रीवास्तव निवासी म0न0 355, बीबी खेडा आवास विकास कालोनी, थाना पारा, कमिश्नरेट लखनऊ।

2– दीपक रावत पुत्र रामनारायण निवासी ई–1087, राजजीपुरम, थाना तालकटोरा, कमिश्नरेट लखनऊ। –

<u>बरामदगी–</u>

1– 05 अदद मोबाइल फोन।

2– 07 अदद एटीएम कार्ड।

3– 04 अदद पैन कार्ड।

4– 01 अदद डेक्सटाप (जिससे कूटरचित दस्तावेज तैयार किये जाते थे)

5– 03 अदद कूटरचित आधार कार्ड ।

6– 01 अदद ड्राइविंग लाइसेंस।

7– 103 वर्क लोन प्रक्रिया से सम्बन्धित दस्तावेजों की छायाप्रति (कूटरचित व अन्य)

8– 01 अदद मोटरसाईकिल बिना नम्बर की।

9– 28 अदद चेक विभिन्न लोगो के हस्ताक्षरित।

<u>गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान व समयः–</u> दिनांकः 04–10–2025 स्थानः एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ। समयः 22:00 बजे ।

साइबर क्राइम की रोकथाम व साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु एसटीएफ उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री अवनीश्वर चन्द्र श्रीवास्तव, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण मे एस0टी0एफ0 मुख्यालय से निरीक्षक संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में उपनिरीक्षक पवन कुमार सिंह, मु0आ0 रमाशंकर चौधरी, मु0आ0 चेतन सिंह, मु0आ0 राघवेन्द्र तिवारी, आरक्षी सुधीर कुमार द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में ज्ञात हुआ कि चॉद बाबू पुत्र मोहम्मद साबिर निवासी मकान नम्बर 102 ए ब्लाक कैम्पबेल रोड, थाना ठाकुरगंज, लखनऊ मकान लेने हेतु लोन की आवश्यकता थी, जिसके लिए उसने अपने किसी जानने वाले के माध्यम से विनीत से बात किया था। विनीत ने बताया था कि वो और उसके मित्र दीपक, अभिषेक सोनी, अमित रस्तोगी हाउसिंग लोन कराने का कार्य करते हैं और आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से लोन करा देंगे। उसके कुछ दिनों बाद फाइल तैयार कराने के नाम पर रू0 11000/—कैश व रू0 10000/—आनलाइन अपने खाते में लिया और कुछ दिनों बाद फाइल तैयार कर 50 लाख 90 हजार रू0 का लोन अप्रूवल का डाक्यूमेंट दिखाया और मैनेजर को 4 प्रतिशत कमीशन के नाम पर 4 लाख रूपये लिया। फिर रजिस्ट्री के नाम पर 01 लाख 50 हजार रूपये स्टाम्प व कोर्ट फीस के नाम पर लिया। फिर मेरे व्हाट्स—अप पर यस बैक की 10 लाख रू0 की डीडी की फोटो प्रवीन के नाम पर व 40 लाख 90 हजार की डीडी की फोटो भेजे। मेरे द्वारा यस बैंक में जाकर पता करने पर पता चला की दोनो डीडी फर्जी है और ये मेरे साथ फ्राड हो गया।

उपरोक्त प्रकरण पर विनीत कुमार एवं दीपक कुमार को पूछताछ हेतु एसटीएफ मुख्यालय पूछताछ हेतु बुलाया गया एवं दौरान पूछताछ प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित होने पर दिनांक 04—10—2025 को एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ में दोनो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसके आधार पर पूछताछ पर उपरोक्त से बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त विनीत और दीपक ने पूछताछ में बताया कि हम लोग एवं अभिषेक सोनी व अमित रस्तोगी चारो लोग मिलकर जिन लोगो को होम लोन की जरूरत होती है। उनको बैंक से होम लोन कराने देने का विश्वास में लेकर डाक्यूमेण्ट लेते हैं और फिर अपने घर पर कम्प्यूटर में होम लोन से सम्बन्धित कूटरचित डाक्यूमेण्ट तैयार कर उन लोगो के हस्ताक्षर उस फाइल पर कराते हैं एवं होम लोन कराने का कमीशन एवं रजिस्ट्री, स्टाम्प शुल्क आदि के नाम पर उनसे धन उगाही करते हैं और समय—समय पर अपना मोबाइल नम्बर व रहने के स्थान में परिवर्तन कर देते हैं। इस प्रकार हम लोग फर्जी लोन कराने के नाम पर फ्राड का कार्य करते हैं।

अब तक की जाच/अभिसूचना संकलन से प्रकाश में आये तथ्यों के आधार पर पता चला है कि इस गिरोह द्वारा फर्जी तरीके से कराये गये लोनों से करोड़ों रूपये अर्जित किये गये हैं। जिसके सम्बन्ध मे जांच की जा रही है। अभियुक्तों द्वारा बताये गये बैक खाते, वालेट की जानकारी/परीक्षण व गिरोह के अन्य सदस्यो की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना साइबर क्राईम, लखनऊ में मुकदमा अ0सं0 160/2025 धारा धारा 112, 319(2),318(4), 336(1),(3)(4), 338, 339, 340 बीएनएस 2023 एवं 66सी, 66डी आईटी एक्ट में पंजीकृत कराकर आवश्यक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

जनपद मीरजापुर/थाना कछवां

- **पुलिस कार्यवाही में 25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 35 हजार रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 05.10.2025 को थाना कछवां व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त 1–सोहन प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के निशादेही पर ग्राम बरैनी के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 2–रामजन्म 3–सुनील उर्फ रिंकू घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 35 हजार रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सोहन के विरूद्ध जनपद गाजीपुर, कमिश्नरेट वाराणसी के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग एवं अभियुक्त रामजन्म के विरूद्ध जनपद गाजीपुर, चन्दौली, आजमगढ़ व कमिश्नरेट वाराणसी के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 20 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त रामजन्म एवं सुनील उर्फ रिंकू थाना कछवां पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कछवां पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सोहन प्रसाद निवासी चौबेपुर थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

2–रामजन्म निवासी परानापुर थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

3–सुनील उर्फ रिंकू निवासी चौरभरवा पचोखर थाना बबुरी जनपद चन्दौली।

बरामदगी

1–लूट के 35 हजार रूपये नगद।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल।

जनपद हरदोई/थाना पाली

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 05.10.2025 को थाना पाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गौरा–उदयपुर मोड़ के पास बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मानसिंह घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना पाली पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना पाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मानसिंह निवासी ग्राम वजीरगंज थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद अमरोहा/थाना नौगावां सादात

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 09 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 04.10.2025 को थाना नौगावां सादात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बीलना पुल चौराहे के पास से 02 अभियुक्तों 1–नजाकत 2–मोहम्मद युसुफ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 09 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना नौगावां सादात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नजाकत निवासी गली नं0–7 थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा।

2–मोहम्मद युसुफ निवासी तकिया मोती शाह थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा।

बरामदगी

1–चोरी की 09 मोटर साइकिल।

जनपद सहारनपुर/थाना गंगोह

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 28 लाख रूपये कीमत के 280 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

दिनांक 05.10.2025 को थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तीतरो रोड फैक्ट्री के पास से 02 अभियुक्तों 1–इन्सार 2–जाबिर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 28 लाख रूपये कीमत के 280 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना गंगोह पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–इन्सार निवासी कुतुबखेडी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

2–जाबिर निवासी कुतुबखेडी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–लगभग 28 लाख रूपये कीमत के 280 ग्राम अवैध स्मैक।

➢ **<u>जनपद फिरोजाबाद (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 60 लाख 03 हजार 880 रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस ने अभियुक्त संतोष उर्फ पप्पू पुत्र लेजम सिंह निवासी नगला बाग थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति कीमत करीब 60 लाख 03 हजार 880 रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

दिनांक 05.10.2025
प्रेस विज्ञप्ति 08 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

वामा वेलनेस कैम्प: पुलिस परिवारों के स्वास्थ्य के लिए एक समर्पित पहल

9,527 पुलिस कर्मियों एवं उनके परिवारजनों का 34 जनपदों में स्वास्थ्य परीक्षण

उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन, वामा सारथी उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मियों एवं उनके परिवार के कल्याणार्थ एक समर्पित संस्था के रूप में कार्यरत है जिसकी पदेन अध्यक्षा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश की धर्मपत्नी श्रीमती मीनाक्षी सिंह हैं।

वामा सारथी की अध्यक्षा श्रीमती मीनाक्षी सिंह के दूरदर्शी नेतृत्व में वामा सारथी को पिछले तीन माह में एक नई संजीवनी प्राप्त हुई है जो अब संवेदना, सहयोग और सशक्तिकरण का सजीव प्रतीक बन चुकी है।

वामा सारथी अध्यक्षा द्वारा एक नवीन पहल करते हुए आज दिनांक 5-10-2025 को उत्तर प्रदेश के 34 जनपदों में डॉ. लाल पैथ लैब्स के सहयोग से **वामा वेलनेस कैम्प** का आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न diagnostics, समग्र सेहत की जांच, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और रोगों की समय से पहचान सुनिश्चित करना रहा।

यह उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में पहली बार सामूहिक स्तर पर इतनी किफायती दरों पर उत्कृष्ट स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए हैं।

प्रथम चरण में वामा वेलनेस कैंप प्रदेश के 34 जनपदों में आयोजित किया गया, जिनके नाम क्रमशः आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, आज़मगढ़, बागपत, बहराइच, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुलंदशहर, वाराणसी, देवरिया, अयोध्या, फ़िरोज़ाबाद, गाज़ियाबाद, गाज़ीपुर, गोरखपुर, हापुड़, हरदोई, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, खीरी, लखनऊ, मथुरा, मऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुज़फ़्फ़रनगर, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर एवं सुलतानपुर हैं। इन सभी जनपदों में कुल 9,527 पुलिस कर्मियों एवं उनके परिवारजन द्वारा वामा वेलनेस कैंप में सहभागिता की गयी, जिसमें 5,326-पुरूषों तथा 2,145-महिलाओं एवं 213-बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस वामा वेलनेस कैंप में लखनऊ के 311, मेरठ के 140, खीरी के 225, सुलतानपुर के 175, बुलंदशहर के 160, झांसी के 332 कर्मियों एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा सहभागिता की गयी। यह आकड़े इस पहल की व्यापकता और पुलिस परिवारों में स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता का प्रतीक है।

इस कैंप में पुलिस कर्मियों और उनके परिवारजनों को अत्यंत रियायती/ CGHS दरों पर स्वास्थ्य जांच की विश्वस्तरीय सुविधा Dr. Lal Pathlab के सहयोग से उपलब्ध कराई गई।

प्रदेश स्तर पर वामा सारथी के 06 Verticals का गठन किया गया है जिसमें Health and Wellness Committee में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की पत्नियाँ,

1. डॉ0 चेतना गुप्ता
2. डॉ0 रिचा चौधरी
3. डॉ0 कोमल
4. डॉ0 आंकाक्षा गुप्ता
5. डॉ0 अरूणिमा

शामिल हैं। इन सभी ने इस प्रदेश स्तरीय अभियान के संचालन में पूर्ण योगदान दिया।

जनपदों में वेलनेस कैम्प के कार्यक्रम के सुचारू रूप से संचालन हेतु वामा सारथी की सचिव श्रीमती चारू गाबा के पर्यवेक्षण में हेल्थ एवं वेलनेस कमेटी एवं जनपद स्तर पर वामा सारथी की स्थानीय अध्यक्षा ने सक्रिय भूमिका निभाई।

यह स्वास्थ्य शिविर न केवल पुलिस बल की कार्य क्षमता और मानसिक सजगता को बढ़ाने की दिशा में एक सशक्त प्रयास है, बल्कि यह वामा सारथी की उस मूल सोच का भी प्रतीक है, जिसके अंतर्गत एक स्वस्थ, सशक्त और सुरक्षित पुलिस परिवार का निर्माण सुनिश्चित किया जा रहा है।

जनपद बरेली

जनपद फिरोजाबाद

जनपद झाँसी

जनपद झाँसी

जनपद मुजफ्फरनगर

जनपद जौनपुर

जनपद सुलतानपुर

जनपद मुरादाबाद

जनपद गोरखपुर

कमिश्नरेट आगरा

कमिश्नरेट लखनऊ

जनपद बुलन्दशहर